झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–233 वर्ष 2017

मंटू महतो .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

महाप्रबंधक, आई0एस0पी0 स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया, चासनाला कोलियरी, धनबाद

.... उत्तरदाता

कोरम

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए :– श्री वी0के0 दुबे

07 / 05.02.2018 वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी को भूमि की लागत का भुगतान करने का निर्देश जारी करने के लिए, जिसे प्रतिवादी द्वारा लिया गया है और भूमि अधिग्रहण योजना के अनुसार याचिकाकर्त्ता के बेटे को मुआवजे के रूप में नौकरी देने के लिए दायर की गई है।

रिट याचिका के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता ने खाता संख्या–16, 17, 18 और 44, क्षेत्र 5 एकड़, मौजा–हते कांद्रा, मौजा सं0–167, थाना–कतरास, जिला–धनबाद के सभी भूखंडों से संबंधित भूमि की लागत का दावा किया

है और साथ में उक्त भूमि पर मालिकाना हक होने का दावा करते हुए प्रतिवादी–आई0एस0पी0, सेल के कहने पर किए गए अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का दावा किया है।

प्रतिवादी की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया है कि याचिकाकर्त्ता ने रिट याचिका में कुछ भी प्रकथन नहीं किया है कि उसने विचाराधीन भूमि पर मालिकाना हक कैसे हासिल किया है। इसके अलावा, रिट याचिका में अधिग्रहण की कार्यवाही के किसी भी विवरण का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

रिट याचिका की सामग्री के साथ–साथ प्रतिवादी की ओर से दायर जवाबी हलफनामे को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान रिट याचिका पूरी तरह से आवश्यक तथ्यों से रहित है जिसके आधार पर याचिकाकर्त्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर काई निर्णय लिया जा सके।

उपरोक्त परिस्थिति में, याचिकाकर्त्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर काई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान रिट याचिका, तद्नुसार, खारिज की जाती है।

(राजेश शंकर, न्याया0)